फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

सवाईसिंह वगै.
बनाम
गुगनाराम वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट

न. 41 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2022	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री भगवानदास गोयल उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 42/2021 बअनवान सवाईसिंह वगै. बनाम गुमनाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई। मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि विवादित आदेश एवं सम्पूर्ण पत्रावली की नकल दिनांक 16.02.2022 को मांगने पर दिनांक 16.02.2022 को नकल मिलने पर नकल मिले की तिथि से उक्त अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत हैं तथा कोराना जैसी वैश्विक महामारी तथा ओमीक्रॉन के प्रकोप को मध्य नजर रखते हुए अपील के उक्त विवादित आदेश की जानकारी अपीलांट को नहीं हुई तथा जानकारी होने पर नकल मांगने पर नकल मिलने के पश्चात उक्त विवादित आदेश की जानकारी हुई। वास्तविक ज्ञान की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश है। रेस्पोडेंटस मौके पर पक्का निर्माण कर रहे हैं जबकि आदेशिका में कहीं पर भी उक्त आवेदन को मैन्सन/उल्लेख नहीं किया गया हैं जबकि मौके पर रेस्पोडेंटस पक्का निर्माण कार्य करवाने के लिए आमदा हैं इसलिए मौके की यथास्थिति हेतु वाद को तथा आवेदन को लम्बा करने के लिए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। पत्रावली कैम्प कोर्ट के पश्चात न्याय आपके द्वार से सीधी ही पेशी दिनांक 13.05.2022 दी गई हैं इससे यह विदित होता है कि न्याय करने की मंशा अपने आप में मिलावट युक्त लग रही हैं। अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। सर्वप्रथम धारा 05 के प्रार्थना–पत्र पर आदेश पारित करना उचित होगा। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें पाया कि मूल आवेदन तलबी के स्तर पर विचाराधीन है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम पर बहस नहीं सुनी गई। हस्तगत प्रकरण को तकनिकी बिन्दुओं के आधार पर निस्तारण करने के बजाय उसको गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद	

राजस्व अपील अधि... बाड़मेर

शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील एडमिशन स्टेज पर आंशिक स्वीकार कर अस्थाई व्यादेश से रेस्पोडेंटस को पाबंद किया जाता है कि मौजा मतूजा तहसील शिव के खेत खसरा संख्या 235/53 रकबा 68.14 बीघा भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तहरीर जारी हो। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 की पालना में रेस्पोडेंटगण के नाम सम्मन जारी कर जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. भेजने हेतु अधिवक्ता अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर रेस्पोडेंटस के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवा कर तीन दिवस में रसीदे अधीनस्थ न्यायालय में पेश करे अन्यथा स्थगन पर मातहत अदालत विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु अग्रसर होगा। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत आवेदन में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए अधिकतम दो माह में निस्तारण करे। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.03.2022 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर